ऑटो में गैंगरेप के आरोपी से चाकू-मोबाइल बरामद

तीन दिन के रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़।

दिसंबर 2016 में सामने आए कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार आरोपी कमल हसन उर्फ दिलदिल का तीन दिन का रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने मंगलवार को उसे जिला अदालत में पेश किया। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है।

आरोप है कि मामले से जुड़े दोनों आरोपियों ने चाकू के बल पर पीड़िता के साथ दुराचार किया। साथ ही मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाई। वहीं पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी का ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए भेज दिया है।

इससे पहले मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद इरफान को अदालत न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। मोहम्मद इरफान को पुलिस बुड़ैल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कमल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

यह है मामला

12 दिसंबर 2016 को काल सेंटर में काम करने वाली युवती के साथ ऑटो चालक और उसके साथियों ने सामूहिक दुराचार किया था। पीड़िता ने सेक्टर-34 से घर जाने के लिए ऑटो लिया था। ऑटो में चालक सहित तीन युवक सवार थे, जिन्होंने चाकू के दम पर वारदात को अंजाम दिया था। एक ऑटो चालक वसीम मलिक की पुलिस ने छह दिन बाद गिरफ्तारी दिखा दी थी, लेकिन अन्य आरोपियों का पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस इस केस में ऑटो भी बरामद नहीं कर सकी थी। दिलचस्प है कि अदालत में पीड़िता युवक को पहचानने से इंकार कर चुकी है। वहीं डीएनए सैंपल भी उससे मैच नहीं हुए थे। मोहाली की युवती से नवंबर 2017 में हुए गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद इरफान का डीएनए इस मामले में मैच होने के बाद पुलिस ने पीड़िता से उसकी शिनाख्त कराई थी। पीड़िता की ओर से उसकी पहचान करने के बाद पुलिस ने उसे इस मामले में आरोपी बनाया। वहीं इरफान की निशानदेही पर ही दूसरे आरोपी कमल हसन उर्फ दिलदिल को गिरफ्तार किया था।

Amar Ujala Dt: 21/03/2018

बुलेट सवार ने झपटा युवक का पर्स, पकड़ा

चंडीगढ़ : सेक्टर-34 थाना पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया स्नैचर।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ : शहर मे स्नैचिंग की वारदात रूकने का नाम नही ले रही है। मंगलवार सुबह एक बुलेट सवार स्नैचर ने एक युवक से पर्स झपट लिया। पर्स में 4 हजार रूपये और अन्य जरूरी कागजात थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की निशानदेही पर आरोपित को देर शाम बुड़ैल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित की पहचान मनु उर्फ बत्ता निवासी बुड़ैल के रूप में हुई है। जानकारी अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9:45 बजे जूस का काम करने वाला चंदन कुमार बुड़ैल स्थित एक बैंक में रुपये जमा कराने जा रहा था। वह सेक्टर-52 स्थित टीन कॉलोनी में रहता है। जब वह बुड़ैल स्थित गली नंबर-4 के पास पहुंचा तो बिना हेलमेट लगाए एक बुलेट सवार युवक ने उससे पर्स झपट लिया और फरार हो गया। वारदात के बाद आस-पास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस पीसीआर और सेक्टर-34 थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी।

Dainik Jagran Dt: 21/03/2018

चैंपियनशिप... पहलवान ने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियनशिप में किया प्रदर्शन

पुलिस अखाड़ा में अभ्यासरत पहलवान मोर ने जीता कांस्य

➪ डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा द्वारा मैट लगवाए जाने के बाद आ रहे मेडल

संदीप खत्री

चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस अखाड़ा में डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा द्वारा मैट लगवाए जाने के बाद पहलवान दे दना दन मेडल जीत रहे हैं। सोमवार को फिर पुलिस अखाड़ा में अभ्यास कर रहे 17 साल के पहलवान वीशू मोर ने पूने में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन करते हुए ग्रीको रोमन वर्ग में ब्राउंज मेडल अपने नाम कर लिया।

आशू मूल रूप से सोनीपत कर रहने वाला है। पिछले तीन सालों से चंडीगढ़ पुलिस अखाड़ा में अभ्यास कर रहा है। अखाड़ा के कोच राजा पहलवान उन्हें कोचिंग प्रदान कर रहे हैं। आशू राजा पहलवान से सिर्फ कोचिंग लेने के लिए चंडीगढ़ आया था। बता दें कि पूने में होने वाली ऑपल नेशनल रेसलिंग गेम के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्पोर्ट्स कंपलेक्स में ट्रायल हुए थे। जहां से चंडीगढ़ के लिए आशू मोर का चयन हुआ था। 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रतियोगिता का आयोजन पूने में हुआ था। जहां उन्होंने 92 किलो में अंडर-17 आयु वर्ग कैडिट में जीत हासिल कर चंडीगढ़ के साथ-साथ चंडीगढ़ पुलिस अखाड़ा का नाम रोशन किया। मोर ने अपनी जीत का श्रेय अपने गुरु राजा पहलवान को दिया।

इस मौके पर राजा ने डीजीपी तेजिंदर सिंह लूथरा का धन्यवाद किया। चूंकि जमीन और मैट दोनों पर ही खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिल रहा है। इसी के चलते खिलाड़ी इन प्रतियोगितओं में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां अभ्यास करने के दौरान मोर किराए के मकान में कैंबवाला में रहता है।

वीशू मोर अपने गुरु व अन्य साथियों के साथ। -जगमार्ग

मोर को मिल सकता है एशिया चैंपियनशिप खेलने का मौका

वीशू मोर अब सोनीपत के बाहलगढ़ में कैंप लगाएंगे। जहां पर गोल्ड, सिल्वर, ब्राउंज और चौथा नंबर हासिल करने वाले खिलाड़ियों में मुकाबला होगा। इन्हीं में से एक खिलाड़ी को एशियन चैंपियनशिप खेलने का मौका मिलेगा। जिसका आयोजन विदेश में होता है।

Jag Marg Dt: 21/03/2018

Burail man held for snatching

HT Correspondent
chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: Police have arrested a Burail youth for allegedly snatching a wallet from a juice seller in the area on Tuesday.

The suspect has been identified as Manu, alias Batta, 24.

Chandan Kumar of Sector 52 told police that he was on his way to the PNB branch in Sector 45 to deposit ₹4,000 when a Bullet-borne man snatched his wallet. The wallet also contained some important documents.

After registering a case under Sections 356 (assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person) and 379 (theft) of the Indian Penal Code (IPC), the Sector-34 police managed to nab the suspect later in the day.

STRICTER LAW PLAN »P3

Hindustan Times Dt: 21/03/2018

Accused Manu, alias Batta, 24.

SEC-29 RAPE: CO-ACCUSED SENT TO JUDICIAL CUSTODY

CHANDIGARH: A local court on Tuesday sent the co-accused in the gangrape of a 21-year-old call centre employee to 14-day judicial remand.

The victim had identified Kamal Hassan, alias Dil, 22, and Mohammad Irfan, 29, an auto driver, as her rapists. Hassan was produced by Chandigarh Police before the court of judicial magistrate first class Palwinder Singh after his police remand of three days got over.

Hassan was arrested from Delhi on the basis of a disclosure statement of co-accused Mohammad Irfan, who is his relative.

He was sent to judicial custody last week since his test identification parade (TIP) was to be conducted. After his identification by the victim, his DNA samples were taken.

Mohammad Irfan, who is in judicial custody for raping a Dehradun girl, along with his accomplices in Sector 53 last November, was also involved in gangrape of a call centre employee in Sector 29 in December 2016, UT police told court on Tuesday.

The forensic report had found Irfan's DNA sample to be a 'contributor' in woman's rape.

Following this, the police had arrested Kamal Hassan after Irfan told them his whereabouts in Delhi where he had been hiding ever since the incident. Hassan is also an autorickshaw driver. **HTC**

Hindustan Times Dt: 21/03/2018

Man gets 10 yrs in jail for carrying banned injections

HT Correspondent
chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The court of additional district and sessions judge Ashwani Kumar Mehta on Tuesday sentenced a resident of Dadumajra Colony to 10 years in jail for carrying banned injections.

The court also imposed a fine of ₹1 lakh on the convict, Deep Kumar, who was held guilty under Section 22 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act.

Kumar was booked on December 2, 2016, after cops found him carrying 20 ampoules of Buprenorphine and Pheniramine Maleate each.

The defence counsel plead that his client had been falsely implicated as no such recovery was made from him. However, after listening to the arguments, the court held Kumar guilty, and awarded him 10 years in jail.

Sector-21 dentist booked for cheating US national

HT Correspondent
chandigarh@hindustantimes.com

CHANDIGARH: A city-based dentist has been booked for allegedly cheating a US national.

The complainant, Gertrude D'Souza, has accused Dr Mohit Dhawan, of not providing her the promised service despite charging ₹7.13 lakh.

In her compliant, sent to the Chandigarh Police through e-mail, D'Souza stated that she came in contact with Dr Dhawan, who runs a clinic, "Avance Dental Care", in Sector 21, while looking for dental implants in 2017.

She claimed that Dr Dhawan had told her that he will permanently implant teeth in two sittings, following which she came to India in August 2017, and got the teeth implanted in one sitting.

D'Souza said Dr Dhawan demanded a full payment of ₹7,13,437 by cheque, in exchange for the dental service, lodging in Hotel Taj and a visit to a nearby hill station.

WOMAN ACCUSES Dr MOHIT DHAWAN OF CHARGING ₹7.13 LAKH, AND NOT PROVIDING HER THE REQUIRED TREATMENT AND PROMISED FACILITIES

However, she alleged, the treatment was substandard, and Dr Dhawan failed to provide the promised facilities. She claimed that she was to return to the US on August 22, but a tooth's crown fell off before her return. She contacted Dr Dhawan over e-mail, but he did not respond.

Thereafter, she got treated at Mumbai at a cost of ₹4.9 lakh. She claimed Dr Dhawan had claimed to send her the denture but he failed to do that as well.

Investigating into the complaint, UT police sought legal opinion, and after verifying the allegations registered a case under Sections 420 (cheating), 467 (forgery of valuable security, will,), 468 (forgery for purpose of cheating) and 471 (using as genuine a forged) of the Indian Penal Code at the Sector-19 police station.

On his part, Dr Dhawan said, "It is a totally false case. She had failed to clear dues of her treatment and thus we had even filed a recovery suit against her. In order to avoid paying the dues, she has lodged a complaint. She only wants to extort money from us." He added, "We have provided relevant documents to the police. All her allegations are false."

Hindustan Times Dt: 21/03/2018